



UPFD040455272022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

परिवाद संख्या-31609 सन 2022

ब्रह्मानन्द बनाम सुमन आदि

23.05.2023

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी उपस्थित नहीं है न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। विगत कई तिथियों से परिवादी उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब परिवादी उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। परिवादी की अनुपस्थिति के कारण उक्त परिवाद निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः परिवादी की लम्बे समय से अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत परिवाद धारा-203 दं०प्र०सं० के अंतर्गत **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।